



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. चित्तरंजन मिश्र
PROF. CHITTARANJAN MISHRA
कुलसचिव
REGISTRAR

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : +91-7152-230903

F. No. 006/Admn/2010/3-1/4801
दिनांक : 19.06.2015

अधिसूचना

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय के अध्यादेश में वर्णित *Regulation of Screening and Selection Committee* का क्रमांक निर्धारण प्रशासनिक अध्यादेश क्रमांक 55 किया जाता है एवं *Regulation of Screening and Selection Committees* में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है-

- (i) Pro-Vice Chancellor or a Professor nominated by the Vice-Chancellor. (Chairman)
- (ii) The Dean of the School Concerned
- (iii) The Head of the Department concerned;
- (iv) One Professor as a subject expert from out side to be nominated by the Vice-Chancellor; and
- (v) The Registrar-Convener

यह अधिसूचना कार्यपरिषद की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्गत की जा रही है।

(चित्तरंजन मिश्र)

प्रतिलिपि-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा
3. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र/अनुभाग, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा
4. वित्ताधिकारी कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा
5. प्रभारी, लीला, म.गां.अं.हि.वि.वि. वर्धा की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. संबंधित फाइल/गार्ड फाइल